International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 1, January - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

''छत्तीसगढ़ में कोयला उत्खनन एवम् सरगुजा क्षेत्र की कोरिया रियासत के कोयला खान श्रमिकों का ऐतिहासिक विवेचन''

डॉ. घनश्याम दुबे
सहायक प्राध्यापक (इतिहास विभाग)
गुरू घासीदास(केन्द्रीय)विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
एवम

अभिषेक अग्रवाल
शोध छात्र (इतिहास विभाग)
गुरू घासीदास(केन्द्रीय)विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश

कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत है। बदलते परिवेश में कोयले की उपयोगिता मे निरन्तर वृद्धि ही हुई है। कोयले के बहुआयामी होने के कारण इसे 'काला हीरा' कहा जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में ही नहीं, बल्कि अन्य उत्पादों में भी किया जाता है।

कोयला उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कोयले का उपयोग अति प्राचीन काल में किया जाने लगा था। भारत में कोयला उत्खनन का इतिहास 1774 से प्रारम्भ होता है। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्खनन कार्य सर्वप्रथम कोरिया रियासत में 1928 में प्रारम्भ हुआ।

''कोयला भले ही साहित्यकारों की दृष्टि में काला हीरा कहलाता हो पर कोयला श्रमिकों के जीवन के प्रत्येक भाग पर इसकी कालिमा का असर होता है।'' राष्ट्रीयकरण के पूर्व अर्थात् कालरी जब निजी क्षेत्र में थी, उस समय छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र की कोयला खान के श्रमिक वर्ग का जीवन स्तर काफी नीचा था। इस क्षेत्र में कोयला खदान मालिकों द्वारा यहाँ के श्रमिकों का विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता था, ताकि वे अधिक लाभ कमा सके। श्रमिकों को किसी भी सुविधायें नहीं दी जाती थीं और जो भी दी जाती थी, वह नाम मात्र की ही होती थी। निजी मिल मालिकों द्वारा कोल अधिनियम, मजदूरी नियम, भर्ती की प्रणाली में वैज्ञानिक पद्धति का पालन नहीं करते थे। राष्ट्रीयकरण के पूर्व सामाजिक सुरक्षा पर किया जाने वाला खर्च भी न के बराबर ही था।

अतः कोयला खान मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए सरकार ने सन् 1973 में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया।

मुख्य शब्द– काला–हीरा, मेरूदण्ड, शोषण, भर्ती, क्षतिपूर्ति।

कोयला ऊर्जा का एक प्रमुख स्त्रोत है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे **''काला हीरा''** कहा जाता है। कोयले का भण्डार जिस देश मे ंजितना अधिक पाया जाता है, वह देश उसी अनुपात में समृद्ध और औद्योगिक दृष्टि से उतना ही आगे माना जाता है। वर्तमान में विश्व कोयला उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है तथा कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत भाग भारत उत्पन्न करता है। भारत में कोयला उद्योग में 4 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत् हैं। वर्तमान अनुमानों के अनुसार यहाँ 8 हजार करोड़ टन के भण्डार हैं, लेकिन भारत सरकार के अनुसार देश में 14,879 करोड़ टन के भण्डार है।

''आधुनिक जीवन में कोयला एक अपपिहार्य खनिज पदार्थ है। यह केवल ईंधन के ही रूप में उपयोग नहीं होता हैं, बल्कि उससे अन्य अनेक सहायक पदार्थ प्राप्त होते हैं। सामान्यतः यह घरेलू और औद्योगिक ईंधन के काम आता है। अधिकांश विद्युत–शक्ति और कृत्रिम गैस इसी के द्वारा प्राप्त होती है। कोक के रूप में यह स्टील के निर्माण में काम आता हैं। कोयला मानव जीवन के लिए विशेष उपयोगी है। कोयले के कारण ही औद्योगिक–क्रान्ति सम्भव हो सकी है तथा आधुनिक विश्व का नवीन रूप विकसित हो पाया है।''[1]

भारत में कोयला उत्खनन का इतिहास–

कोयला उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कोयले का उपयोग अति प्राचीन काल में किया जाने लगा था, किन्तु फिर भी भारत में कोयला उत्खनन का कार्य ब्रिटिश काल से माना जाता है।

''भारत में पश्चिम बंगाल वह राज्य है जहाँ कोयला खनन् कार्य 1774 में रानीगंज क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। भारत में उन दिनों वारेन हेस्टिंग्स तत्कालीन गर्वनर जनरल थे। उन्होने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी मिस्टर जॉन सुमनेर और मिस्टर एस.जी.व्हीटले को उनके आवेदन 11 अगस्त 1774 के अनुसार बंगाल क्षेत्र में कोयले के व्यापार की अनुमति प्रदान की थी।''[2]

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 1, January - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

''सन् 1774 के एक पत्र में कहा गया है कि ''हमने वीरभूमि और पंचेत के इलाकों में कोयले के भण्डारों की खोज की है।'' बाद में इन खानों से व्यापारिक स्तर पर खोदने का प्रयास किया गया। अतः पहली बार नियमातपुर के पास एंथोरा (वर्दमान पश्चिम बंगाल) के पास हलतुरा और आमतुरा की खानों में कार्य प्रारम्भ किया गया। ये स्थान वर्तमान रानीगंज क्षेत्र में आते हैं। सितम्बर 1775 में सर्वप्रथम में सर्वप्रथम 2500 मन कोयला यहाँ से खोदकर कलकत्ता को ढोया गया और उसे परीक्षण के लिए अंग्रेज सैनिक भण्डारी के पास भेजा गया। लेकिन उस परीक्षण में इस कोयले का इंग्लैड के स्तर का कोयला नहीं पाया गया। इसके परिणामस्वरूप 1789–1814 के मध्य कोयला खान में प्रगति नहीं हुई।''[3]

''डी.एस.विलियम्स जॉन जो तत्कालीन समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के भूगर्भीय सर्वेक्षक थे, ने वर्धमान क्षेत्र का 1815 में सर्वेक्षण किया किन्तु झरिया कोयला क्षेत्र में पंहुच की कठिनाई के कारण उन्होनें अपना ध्यान रानीगंज कोयला क्षेत्र में केन्द्रित किया। यद्यपि उन्हें **'कोयला खनन् का जनक'** कहा जा सकता है।''[4]

''मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी ने दामुलिया और नारायणपुरा में 1824 में खान की शुरूवात की। मेसर्स गिलमोरे हम्फी एण्ड कम्पनी और मेसर्स कार टैगोर एण्ड कम्पनी ने अपना एकीकरण कर 1843 में बंगाल कोल कंपनी की स्थापना की जो लगभग 125 वर्षों तक कोयले के उत्पादन में राष्ट्रीयकरण के समय तक कार्य करती रही। कोयले की उत्पादन जो कि 1815 में औसतन 400 टन था, 1832 तक बढ़कर 14,000 टन हो गया।''[5]

''1837 में एक कोयला समिति का निर्माण किया गया जिसने आगामी वर्ष अपनी रिपोर्ट भेजी और कोयले के भण्डारों की एक सूची प्रदान किया। 1842 तक रानीगंज कोयला क्षेत्र से 50,000 टन कोयला निकाला गया। बाद में 120 मील रेल्वे लाइन बिछाकर (1855 तक) रानीगंज कोयला क्षेत्र को कलकत्ता से सम्बद्ध कर दिया गया। इसके पश्चात इस कोयले की महत्ता निरन्तर बढ़ती गई।''[6]

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग–

छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संसाधनों में सम्पन्न राज्य है। राज्य में खनिज प्रकारों की भी विविधता है। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संसाधनों में सम्पन्न और लगभग सभी प्रकार के विविध खनिजों की उपलब्धता के कारण **''खनिजों का खजाना''** कहा जाता है। यह खनिज बाहुल्यता का क्षेत्र है। यहाँ एक दर्जन से

अधिक खनिजों के भण्डार है, कोयला, लौहअयस्क, डोलोमाइट, बाक्साइट, कोरण्डम, क्वार्टजाइट, फायरक्ले, टीन अयस्क इत्यादि के विपुल भण्डार मौजूद है।

कोयला उत्पादन के मामले में देश में दूसरा स्थान रखने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र को हम कोयलांचल कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ मूल रूप से साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स कोयले का उत्पादन करती है। प्रमुख कोयला संस्तरण कोरबा, सरगुजा, कोरिया और रायगढ़ जिलों में स्थित है। कोरबा के करताली–हरदी बाजार में 200 लाख टन के एक कोयला भण्डार का पता चला है।

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग का इतिहास–

छत्तीसगढ़ में कोयला उत्खनन का एक लम्बा इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल में रियासतों में कोयला खान सर्वेक्षण कार्य किया गया। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सर्वेक्षण कार्य कोरिया रियासत (सरगुजा जिला) में किया गया। ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ के भूगर्भ से खनिज उत्खनन कार्य प्रारम्भ हुआ।

छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वप्रथम कोयला उत्पादन कार्य कोरिया रियासत में प्रारम्भ हुआ। रियासत में बहुत मात्रा में तथा अच्छे किस्म का कोयला मिलता था। ''कोरिया रियासत (वर्तमान जिला) में कोयला का प्रारम्भिक उत्खनन 1913 में ही प्रारम्भ हो चुका था। 1928 में प्रथम लीज नागपुर के बंशीलाल अबीरचन्द और टाटा को दी गई। टाटा ने कुरासिया में उत्खनन हेतु थामसन को मैनेजर रखा। टाटा द्वारा कुरासिया का एक कोल ब्लाक कैप्टिव रूप में बाम्बे बरोदा और सेन्ट्रल इंडियन रेल्वे (B.B. & C.I.) को सब लीज किया गया। डब्ल्यू.एम.पिट, करम चन्द थापर (किर्लोस्कर), बिड़ला, दादा भाई मानिकचन्द तथा बंशीलाल, सर इन्दर सिंह, डाल चन्द बहादुर आदि भी इस कार्य में आए।''[7]

''कोयला खदानें अपनी खदानों में काम करने के इच्छुक सभी लोगों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती थी। शुरू–शुरू में स्थानीय लोग भूमि के अंदर खदानों में काम करने से डरते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह एक खतरनाक काम था। अतः वे सतह पर चल रहे निर्माण कार्यों को ही करते थे। गांव के स्त्री पुरूष इन निर्माण स्थलों पर दैनिक वेतन पर काम करते थे। सरगुजा राज्य से भी कुछ लोग यहाँ आजीविका की खोज में आये। वे मजदूरों के रूप में काम करना चाहते थे। धीरे–धीरे स्थानीय

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 1, January - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

लोग भी अब भूमिगत खदानों में काम करने लगे थे, पर उनकी संख्या नही के बराबर थी। भूमिगत खदानों में काम करने वाले अधिकांश लोग उत्तरप्रदेश, बिहार, व उड़ीसा से आये थे।''[8]

भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात छत्तीसगढ़ की समस्त कोयला खानें ठेकेदारों के अधीन आ गई और यहीं से कोयला खान श्रमिकों का शोषण का कुचक्र शुरू हुआ। इस समय खनन पद्धति प्राचीन रीति–रिवाज से होती थी, खनन् में कार्य करने वाले श्रमिकों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। ठेकेदार उनका पूर्ण शोषण करते थे।

इस प्रकार की दशा को देखकर भारतीय सरकार ने इस उद्योग पर अपना नियंत्रण आंशिक रूप से लगा दिया, इसके बाद कोयले की बड़ी–बड़ी कम्पनियों ने इस उद्योग में पूंजी लगाना कम कर दिया, क्योंकि जैसे–जैसे खानें शहरी होती गईं, उत्पादन लागत अधिक होती गई एवं लाभ की मात्रा भी कम हो गई। इस समय श्रमिकों को बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

छत्तीसगढ़ के कोयला खान श्रमिकों का कोयला खान राष्ट्रीयकरण के पूर्व शोषण–

छत्तीसगढ़ की कोयला खान श्रमिकों के शोषण की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन (कोयला खान राष्ट्रीयकरण के पूर्व) उपलब्ध आंकड़ों व तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर किया जाना है–

1. वेतन तथा अन्य परिलाभ
2. भर्ती की प्रणाली
3. आवास तथा आवासीय सुविधायें

छत्तीसगढ़ के कोयला उद्योग में मजदूरी राष्ट्रीयकरण के पूर्व–

किसी भी देश की मजदूरी संरचना को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उस देश की सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गति क्या होगी। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ के कोयला उद्योग श्रमिकों की मजदूरी संरचना की ओर दृष्टि डाले तब यह कहना उपयुक्त होगा कि इस दिशा में सुधार की प्रक्रिया कोयला खदान राष्ट्रीयकरण के पश्चात ही आरंभ हो सकी। देश में समस्याओं के निराकरण के लिए

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 1, January - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

वैद्यानिक प्रावधानों को तीव्र गति से व्यवस्था तो हुई किन्तु उत्पादन पूंजीपतियों तथा निजी हाथों में होने के कारण नियमों का उचित तरीके से पालन हो सका एवं मजदूरी की दरों का निर्धारण पूंजीपतियों की इच्छानुसार ही किया जाता रहा।

कोयला उद्योग में मजदूरी भुगतान पद्धति–(राष्ट्रीयकरण के पूर्व)

छत्तीसगढ़ की कोरिया रियासत में सन् 1928 से 1947 तक कोयला खान श्रमिकों के वेतन सम्बन्ध में हमारे पास कोई अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। सेन्ट्रल वेज बोर्ड फॉर माइनिंग इण्डस्ट्री के अध्याय पाँच में 'वेतन निर्धारण का इतिहास' लिखा हुआ है, उसके आधार पर ऐसा प्रमाण मिलता है कि सी.बी. अवार्ड (कोन्सिलियेशन बोर्ड अवार्ड) के पहले कोल कटर या पिक माइनर का वेतन आठ आने प्रतिदिन था। सी.बी. आवार्ड ने इसी को आधार मानकर जो सिफारिश की थी, उसके आधार पर मूल वेतन में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई, लेकिन सी.बी. अवार्ड के फैसले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ब्रिटिश प्रान्त में ही लागू थे, देशी रियासतों में नहीं। कोरिया अवार्ड सन् 1947 में आया, अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि कम से कम आठ आना दैनिक मजदूरी तो श्रमिकों को मिलती रही होगी।

कोरिया रियासत के अन्तर्गत खदानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन कोरिया महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव ने एक मजदूरी नियम बनाया, जिसे कोरिया अवार्ड कहा गया।

'' 15 नवम्बर 1947 को कोरिया रियासत के चीफ मिनिस्टर सोहनलाल श्रीवास्तव ने एक आदेश अधिसूचना के जरिए जारी किया जिसका सम्बन्ध कोयला खान कर्मचारियों के वेतन से था। यह सी.बी. एवार्ड की तर्ज पर बनाया गया था। अन्य बातों के अलावा इसमें आम मजदूर के वेतन मान में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की बात भी थी। इसे ही कोरिया एवार्ड कहते हैं। यह आदेश कोरिया रियासत के किसी भी खान मालिक ने नहीं माना।''[9]

''कोरिया एवार्ड को कालरी मालिकों ने लागू नहीं किया। मजदूर लोग बड़े आश्वस्त थे कि सी.बी. एवार्ड के तर्ज पर बनी कोरिया एवार्ड लागू होने से उनके वेतनमान में फर्क आयेगा, पर, ऐसा कुछ हुआ नहीं, स्थिति पूर्ववत् ही रही।''[10]

''26 मई 1955 श्रमिकों की मांग पर सरकार ने 26 मई 1955 को मजूमदार ट्रिब्यूनल का गठन किया। यह पहला ट्रिब्यूनल था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरी एवं अन्य प्रावधानों की संरचना पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सम्पूर्ण कोयला उद्योग के लिए एक ही मजदूरी की दर के निर्धारण पर जोर दिया। इस ट्रिब्यूनल की सार्थक पहल पर इसे ''कोल अवार्ड'' कहा गया। इस ट्रिब्यूनल के अनुसार प्रतिदिन न्यूनतम वेतन 15 आने पर एक रूपया छः आना मंहगाई भत्ता स्वीकार किया गया।''[11]

यद्यपि मजूमदार अवार्ड में मजदूरों के मजदूरी वृद्धि से सम्बन्धित प्रयास किए गए थे किन्तु किन्तु बाजार मूल्य स्तर में वृद्धि होने के कारण मजदूरी की उक्त वृद्धि अपर्याप्त सिद्ध हुई। श्रमिकों को मजूमदार एवार्ड के प्रति भी घोर निराशा उत्पन्न हुई।

कोयला खानों में भर्ती की पद्धति (राष्ट्रीयकरण से पूर्व)

भर्ती एक ऐसी प्रकिया है जो जन शक्ति की खोज करता है। भर्ती किसी भी संगठन मे श्रमिकों की संख्या एवं प्रकार को हासिल करने को संभव बनाता है।

कोयला खानों में श्रमिकों की भर्ती की सबसे पुरानी प्रणाली को जमींदारी प्रथा कहते हैं। इसी प्रथा के अंतर्गत खानों की ओर श्रमिकों का आकर्षित करने के लिए बिना शुल्क या नाम मात्र के लगान पर भूमि के लाट दे दिए जाते थे। जिसे कोई श्रमिक उस समय तक रख सकता था, जब तक कि वह खानों में काम करने के लिए तैयार रहे। यह तरीका बहुत कारणों से असफल रहा। जैसे खानों के पास खेती योग्य भूमि की कमी होना तथा आम तौर पर ऐसे श्रमिकों की अकुशलता कुछ खानों में वैतनिक एजेंट के द्वारा भर्ती करने का ढंग ज्यादातर चलता रहा।

इसके अतिरिक्त खान मालिक श्रमिक भर्ती के संबंध में रेजिंग ठेकेदारों की सहायता से जो भर्ती करते थे, वह भी अप्रत्यक्ष रूप से खान मालिकों की इच्छा पर निर्भर करता था क्योंकि रेंजिंग ठेकेदारों को यदि कोयले की खुदाई एवं लदाई की अच्छी दर नहीं मिलती थी तो वे तत्काल श्रमिकों का हटा दिया करते थे।

राष्ट्रीयकरण के पूर्व भर्ती की जो भी पद्धतियाँ थीं, वे सभी अवैज्ञानिक थी एवं नीति संगत नहीं थी। ज्यादातर भर्तियाँ खान मालिक के अनुसार ही चलाते थे। ''इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के श्रमिकों की

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 1, January - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पर्याप्त पूर्ति न हो सकने एवं छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के द्वारा विभिन्न सुविधाओं की मांग के लिए चलाये जा रहे आंदोलन के कारण ''कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन'' द्वारा गोरखपुर श्रमिकों की भर्ती प्रारम्भ की गयी। इनके रहने के लिए कैम्प खोले गए।''[12]

राष्ट्रीयकरण के पूर्व यहाँ की कोयला खानों में श्रमिकों की भर्ती अधिकतर आकस्मिक श्रमिक के रूप में ही हुआ करती थी अर्थात् इन श्रमिकों के रूप में ही हुआ करती थी अर्थात् इन श्रमिकों के कार्य की कोई निश्चितता ही नहीं हुआ करती थी। जरूरतों के मुताबिक उन्हें रखा जाता था एवं निकाल भी दिया जाता था। यह अलग तथ्य है कि श्रम संगठन इसका विरोध करते थे लेकिन चूंकि खाने निजी प्रबंधन में थी, इस कारण इन विरोधों के बावजूद श्रमिकों की भर्ती मनमानी तरीके से ही की जाती थी।

कोयला खान में सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक आवास, क्षतिपूर्ति (राष्ट्रीयकरण के पूर्व)–

उद्योग, वर्तमान की महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक प्रक्रिया है और कोयला उद्योग सामाजिक विकास का विशिष्ट पथ है। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में आवास की समस्या अत्यन्त सोचनीय रही है। भारत में प्रत्येक औद्योगिक स्थलों में श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण आवास की व्यवस्था अत्यन्त दयनीय रही है। प्रत्येक औद्योगिक स्थलों में आवास की समस्यायें हैं, किन्तु कोयला खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की हालत और ज्यादा बदतर थी। कोयला खान श्रमिकों को विभागीय आवास सुविधा कम होने से उन्हें टूटे–फूटे मकानों, अमानवीय एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण में रहना पड़ता था।

भारत की कोयला खानों में श्रमिकों की संख्या बढ़ रही थी, परन्तु उसी गति से मकानों का निर्माण नहीं हो पा रहा था। स्वयं पं नेहरू ने कोयला खान श्रमिकों के निवास स्थान को 1952 में परीक्षण के दौरान **''नरक कुण्ड''** कहकर संबोधित किया था।

कोरिया रियासत की कोयला खदानों में चारो तरफ मजदूरों का शोषण ही शोषण था। ''आजादी के पहले कोयला खदानों की उत्पादन प्रणाली पुराने किस्म की थी और उत्पादन मुख्यतः श्रमिकों द्वारा होता था। अनेक खदानें ऐसी भी थी जहाँ कोयला काटने की मशीन भी शायद नहीं थी और कोयले की कटाई गैती या कुदाल के माध्यम से मजदूरों द्वारा की जाती थी। कोयला खानों के अंदर का वातावरण भी दूषित रहता था। यद्यपि खदानों के बाहर बड़े–बड़े पंखे लगाकर अंदर शुद्ध हवा भेजने का प्रयास किया

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 1, January - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

जाता था, पर जिस तरह इन खदानों को विकसित किया गया था, उससे, खदानों का दूषित वातावरण ज्यों का त्यों बना रहता था। यह सर्वमान्य था कि कोयला खदान श्रमिको का सामान्य जीवन लगभग 15 वर्षो का होता था। उस जमानें में खदानों के अंदर रोशनी का भी अभाव रहता था और मजदूरों को या तो मिट्‌टी तेल के भभके या लालटेनें लेकर काम पर जाना पड़ता था। खदानों में बिजली तथा अन्य सुविधाओं का अभाव था।

कम्पनी ने यद्यपि श्रमिको के लिए कुछ मकान बनवाए थे, किन्तु वे प्रायः कच्चे होते थे। इन मकानों में मानवीय सुविधाओं का अभाव होता था। श्रमिकों के लिए मकान प्रायः कच्चे होते थे जिनकी छतों में या तो खपरे या एस्बेस्टस शीट लगाई जाती थी। श्रमिकों की बस्तियों को घौड़ा कहा जाता था, जहाँ एक से एक लगे हुए अनेक छोटे–छोटे मकान होते थे, जिनमें मानवीय सुविधाओं का प्रायः अभाव रहता था। घौड़े में न तो बिजली, न पानी और न ही पाखाने आदि की व्यवस्था होती थी। सुबह–शाम प्रत्येक घौड़े के सामने सिगड़ियों पर कोयला जलता था जिससे वातावरण कार्बन–मोनो–ऑक्साइड गैस के कारण दूषित रहता था। इन सिगड़ियों को बाहर रखकर जलाना आवश्यक था, क्योंकि इस धुंऐं में सांस लेने से लोगों के मरने का खतरा था। औषधालय आदि की सुविधा एक–आध खदान को छोड़कर कहीं नहीं थी। पीने के लिए इन घौड़ों में एक या दो सामान्य नल लगते थे जिनके जरिए बिना साफ किया हुआ पानी लागों को पीने को पानी मिलता था। अधिकतर स्थानों में यह पानी खदानों के अंदर से ही पंप किया जाता था।''[13]

राष्ट्रीयकरण के पूर्व इस क्षेत्र में मालिकों द्वारा श्रमिकों का काफी शोषण किया जाता था, ताकि वे अधिक लाभ कमा सके। इस कम से कम खर्च की प्रक्रिया में श्रमिकों को किसी भी सुविधायें नहीं दी जाती थीं और जो भी दी जाती थी, वह नाम मात्र की ही होती थी।

इस कारण यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयकरण के पूर्व सामाजिक सुरक्षा पर किया जाने वाला खर्च न के बराबर ही था। कोयला खदानों में जो श्रमिक दुर्घटना के शिकार होते थे, उनकी देखरेख बिल्कुल नहीं होती थी। खदान में यद्यपि डॉक्टर और अस्पताल होते थे पर मजदूरों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर किया जाने वाला खर्च नाम मात्र का था और ज्यादा बड़ी दुर्घटना होने पर खर्च स्वयं ही उठाना पड़ता था।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 1, January - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

राष्ट्रीयकरण के पूर्व क्षतिपूर्ति के नाम से कोई व्यवस्था विशेष रूप से नहीं थी। निजी मालिकों द्वारा यदा कदा ही इस अवस्था पर ध्यान दिया जाता था। अतः उनको शोषण से बचाने के प्रयास प्रारम्भ हो गए।

''राष्ट्रीयकरण के पूर्व कोयला खान की स्थितियाँ अत्यन्त ही दयनीय थीं। कोयले के संरक्षण के सम्बन्ध में खानों के मालिक विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे तथा कानूनों का ठीक–ठीक पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए सरकार ने कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और सारा उद्योग अपने हाथ में ले लिया।''[14]

राष्ट्रीयकरण के पूर्व खानो में कार्यरत श्रमिको की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी, अतः सरकार ने श्रमिक कल्याण, अधिक उत्पादन, अधिक मांग आधुनिक मशीनो के प्रयोग, अधिक विनियोग को ध्यान में रखते हुए कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय किया। राष्ट्रीयकरण के पीछे सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह था कि निजी क्षेत्र की कोयला खानो में कार्य दशाऐं अत्यन्त सोचनीय थीं, किन्तु उसके पीछे एक मुख्य कारण कोयले की उपयोगिता भी थी। मजदूरी बोर्ड तथा श्रम कानूनों का मालिको द्वारा उल्लंघन आम बात थी। कोयला मजदूरी बोर्ड की 1967 मे स्वीकार की गई सिफारिशो को सन् 1972 के अन्त तक भी निजी क्षेत्र की कोयला खानो के 10 प्रतिशत से अधिक ने क्रियान्वित नहीं की थी। अतः श्रमिको को शोषण से बचाने के लिए कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण उचित समझा गया।

संदर्भ ग्रन्थ–

1. शर्मा राजीवलोचन, 'व्यावहारिक भूगोल', कानपुर, किताब घर, आचार्य नगर, 1976, पृष्ठ संख्या 136.
2. हम्फेरी एच.डी.एच., 'दि अर्ली हिस्ट्री ऑफ कोल माइनिंग इन बंगाल', 1906–1955, दि माइनिंग जियोलॉजिकल एण्ड मेटालिॉजिकल इन्स्टीट्यूशन ऑफ गोल्डन जुबली कोमोरेशन, वाल्यूम, पृष्ठ संख्या 147.
3. तिवारी, डॉ. विजय कुमार, 'भारत का वृहत् भूगोल', भाग 2, मुंबई, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, 1997, पृष्ठ संख्या 158.

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 1, January - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

4. हम्फेरी एच.डी.एच., 'दि अर्ली हिस्ट्री ऑफ कोल माइनिंग इन बंगाल', 1906–1955, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 159.
5. ऑन दि बेसिस लेटर कोटेड इन माईनिंग जियोलॉजिकल एण्ड मेटालॉजिकल इन्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया कॉमोरेशन वॉल्यूम, 1906–1955, पृष्ठ संख्या 40.
6. तिवारी, डॉ. विजय कुमार, 'भारत का वृहत् भूगोल', पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 159.
7. अलंग डॉ. संजय, 'छत्तीसगढ़ः पूर्व रियासतें एवं जमींदारियाँ, इलाहाबाद, अनामिका प्रकाशन पृष्ठ संख्या 85.
8. सिंहदेव डॉ. रामचन्द्र, 'कोरिया राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास', भोपाल, बॉक्स कॉरोगेटर्स एण्ड ऑफसेट प्रिन्टर्स, पृष्ठ संख्या 89–90.
9. दुबे प्रो. भागवत प्रसाद, 'श्रमिक आन्दोलन के क्रान्तिदूत रामकुमार दुबे', नई दिल्ली, अयन प्रकाशन, 2018, पृष्ठ संख्या 52.
10. वही, पृष्ठ संख्या 53.
11. रिपोर्ट ऑफ दि सेन्ट्रल वेज बोर्ड फॉर दि कोल माईनिंग इन्डस्ट्री, वाल्यूम 1, शिमला, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया प्रेस, 1968, पृष्ठ 29.
12. गुप्ता जस्टिस गुलाब, 'काले हीरे का खम्भा', चिरमिरी नेशनल कोलियरी मजदूर संघ, 1989, पृष्ठ संख्या 46
13. वही, पृष्ठ संख्या 04–05
14. शर्मा राजीवलोचन, 'व्यावहारिक भूगोल', पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 141